अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संचालित ''ओ'' लेवल एवं ''सी.सी.सी.'' कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु समय–सारिणी जुलाई सत्र के लिए

क्र0सं0	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही हेतु वर्तमान में निर्धारित समयावधि
1.	स्तर–1	नीलिट से ''ओ'' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं ''सीसीसी'' कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभागीय वेबसाइट backwardwelfare.up.nic.in पर दिये गये लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना एवं मान्यता तथा आवेदन में अंकित उत्तीर्ण छात्रों के सर्टीफिकेट तथा परीक्षाफल से सम्बन्धित अभिलेखों व आधारभूत ढाँचे का विवरण अपलोड करने के साथ 22 जून, 2019 सायं 5:00 बजे के पूर्व समस्त अभिलेखों की हार्ड कॉपी निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन्दिरा भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराने के उपरान्त आवेदन पत्र पूर्ण माना जायेगा। प्रमाणित परीक्षाफल/हार्डकापी प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित संस्था के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।	15 जून से 20 जून तक।
2.	स्तर–2	संस्था द्वारा भरे गये ऑन लाइन आवेदन में अंकित सूचनाओं का जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अभिलेखीय/भौतिक सत्यापन किया जाना तथा सत्यापनोरान्त फोटोयुक्त सत्यापन रिर्पोट ऑनलाइन अपलोड करते हुये आवेदन को अपने अभिमत सहित डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाना।	16 जून से 22 जून तक।
3	स्तर–3	निदेशालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा जनपद स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु संस्थाओं का चयन करना।	23 जून से 30 जून तक।
4.	स्तर–4	प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ''ओ'' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं ''सी.सी.सी.''कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं शैक्षिक व अन्य अभिलेखों को अपलोड़ किया जाना। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का प्रिंट प्राप्त करना, आय, जाति प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन करना एवं उनकी जाँच करना।	01 जुलाई से 15 जुलाई तक।
5.	स्तर–5	प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग एवं अभ्यर्थियों का जिला स्तरीय चयन एवं चयनित सूची का जिलाधिकारी से अनुमोदन के साथ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों द्वारा चयनित लाभार्थियों को सत्यापित कर डिजिटली लॉक किया जाना तथा वेटिंग लिस्ट तैयार करना।	15 जुलाई से 22 जुलाई तक।
6.	स्तर–6	चयनित अभ्यर्थियों का सम्बन्धित संस्था द्वारा संस्था में प्रवेश लेते हुये प्रशिक्षणार्थियों का निलिट में रजिस्ट्रेशन कराना तथा सूचना ऑनलाइन संस्था की लॉगिन पर अपडेट किया जाना।	23 जुलाई से 30 जुलाई तक।
7.	स्तर–7	प्रदेश स्तर जनपदवार चयनित प्रशिक्षणार्थियों का संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण एक साथ प्रारम्भ कराया जाना।	01 अगस्त से

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
जि० पि० व० क० अधि०
(योजना प्रभारी)

(विकास शर्मा)
संयुक्त निदेशक
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
उ0प्र0, लखनऊ

संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त दिनांक 22 जून, 2019 तक निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लखनऊ में जमा किये जाने वाले अभिलेख

➢	ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं तथा प्लेसमेन्ट से सम्बन्धित सूचनाओं को शपथ–पत्र में उल्लिखित करते हुये शपथ–पत्र की नोटराइस्ड हस्ताक्षरित हार्डकॉपी	
➢	ओ लेवल एक्रीडेशन प्रमाणपत्र	
➢	सी0सी0सी0 एक्रीडेशन प्रमाणपत्र	
➢	विगत 03 वर्षों के ओ लेवल तथा सी0सी0सी0 उत्तीर्ण छात्रों के सर्टीफिकेट की प्रति तथा वर्ष 2018–19 के छात्रों का परीक्षाफल	
➢	संस्था के रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र	
➢	संस्था का विगत 03 वर्षों का आई0टी0आर0	
➢	संस्था में उपलब्ध संसाधनों तथा कम्प्यूटरों का विवरण	
➢	संस्था के कम्प्यूटर लैब तथा क्लास रूम की एक–एक फोटो	

Application Acknowledgment

Name ....

Mob. No. ....

आपकी संस्था द्वारा ओ लेवल/सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किया गया आवेदन निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ। आवेदन प्राप्त होने का आशय अन्तिम चयन से नहीं है। आपके द्वारा अंकित की गयी सूचनाएँ, संलग्न किए गए दस्तावेज़ तथा भौतिक सत्यापन के उपरान्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर अन्तिम चयन किया जाएगा। निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को किसी भी समय आवेदन को निरस्त करने, समय–सारिणी के परिवर्तन का पूर्ण अधिकार रहेगा।

आवेदन जमाकर्ता के हस्ताक्षर   आवेदन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर